

उपेक्षित समुदाय की संस्कृति और पहचान

श्रीकांत बि. संगम*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19501800>

ABSTRACT

उपेक्षित समुदायों (जैसे आदिवासी, दलित, घुमंतू) की संस्कृति और पहचान मुख्यधारा से भिन्न, प्रकृति-पूजन और सामूहिक परंपराओं पर आधारित है। ऐतिहासिक दमन और आर्थिक वंचना के बावजूद, इन्होंने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक अस्मिता को बचाए रखा है। समाज के हाशिये पर स्थित इन असुरक्षित वर्गों—जिनमें महिलाएं, बच्चे, प्रवासी श्रमिक और निःशक्तजन शामिल हैं—को लगातार संरचनात्मक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। संसाधनों, शिक्षा और अवसरों के अभाव के बीच, अब इन समुदायों में डॉ. आंबेडकर और महात्मा फुले जैसे विचारकों से प्रेरणा लेकर सामाजिक समानता, न्याय और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शोषण के विरुद्ध एक सशक्त संघर्ष की भावना जागृत हुई है।

KEYWORDS: उपेक्षित समुदाय, आदिवासी संस्कृति, संरचनात्मक भेदभाव, सामाजिक समानता, हाशिये का समाज.

उपेक्षित समुदायों (जैसे दलित आदिवासी खानाबदोश) की संस्कृति प्रकृति-पूजन, सामुदायिक और मौखिक परंपराओं पर आधारित होती है, जो मुख्यधारा से भिन्न है। इन की पहचान ऐतिहासिक दमन, सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक वंचना के बावजूद विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतीकों, लोकगीतों, कला और सामूहिक प्रतिशोध के माध्यम से जीवित है।

ऐसे समूह जो शारीरिक अथवा भावनात्मक क्षति की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील होते हैं या समाज में अपेक्षाकृत कम लाभ की स्थिति में होते हैं, उन्हें असुरक्षित वर्ग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे प्रवासी, निःशक्त व्यक्ति आदि। यूरोपीय संघ के अनुसार “वे समूह जो आम जनता की तुलना में

* डॉ. श्रीकांत बि. संगम, प्राध्यापक, मुख्यस्थ हिंदी विभाग, सी.एस.बि. कला, एस.एम. आर.पी. विज्ञान और जि.यल.आर. वाणिज्य महाविद्यालय, रामदुर्ग.

अधिक गरीबी और सामाजिक बहिष्कार के शिकार होते हैं, असुरक्षित समूह कहलाते हैं।”

आदिवासी समुदाय भारत की प्राचीन और मौलिक पहचान का हिस्सा है, जिन की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएँ मुख्यधारा के धर्म से भिन्न और स्वतंत्र है। उनकी आस्थाएँ प्रकृति पूजन, पूर्वजों की आराधना और समुदाय आधारित जीवन मूल्यों पर आधारित है, जो किसी भी संगठित धर्म की परिभाषा में फिट नहीं होती। आदिवासियों की संस्कृति में जंगल, नदियाँ, पहाड़ और मिट्टी का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। उन्हें हिंदू धर्म का हिस्सा मानने या उनकी परंपराओं को किसी अन्य धर्म के अंतर्गत लाने का प्रयास उनके अस्तित्व और स्वायत्तता को नकारने जैसा है। इसलिए यह आवश्यक है कि आदिवासी समुदायों की विशिष्ट पहचान को समझा जाए और उनके अधिकारों और परंपराओं का सम्मान किया जाए।

भारत की आदिवासी संस्कृति और उनकी परंपराएँ व प्रथाएँ भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लगभग सभी पहलुओं पर व्याप्त है। संस्कृतियों के अपने कुछ लक्षण होते हैं जो समाज के समानांतर ही चलते हैं। जैसे संस्कृति आदर्शात्मक होती है, संस्कृति संचारशील होती है, संस्कृति सीखे हुए गुण है, संस्कृति समाज की कुछ आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, संस्कृति केवल मानव समाजों में पाई जाती है, संस्कृति व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक है, संस्कृति में एकीभूत होने का गुण, संस्कृति में उपयोजन की योग्यता होती हैं। ये सभी प्रवृत्तियाँ आदिवासी संस्कृति में पाई जाती हैं। इससे आदिवासी समाज अधिक समृद्ध है।

संस्कृति से तात्पर्य मानव समुदाय के नैतिक, सामाजिक और शैक्षणिक श्रेष्ठताओं से है। जो मानव समुदाय को संस्कारित करती है। यही वजह है कि अनेक आदिवासी समुदाय में भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ श्रेष्ठत्व का भाव लाती हैं। संस्कृति में वह सबकुछ शामिल है जो समाज में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता है। जैसे ज्ञान, धार्मिक विश्वास, कला, कानून, नैतिक नियम, रीति रिवाज, तौर-तरीके, साहित्य, संगीत, भाषा इत्यादि।

असुरक्षित, हाशिये पर स्थित और उपेक्षित वर्ग समुदाय

महिलाएं और बालिका शिशु : महिलाएं एवं बालिकाएँ संपूर्ण विश्व में उपेक्षित समूह के अंतर्गत आती हैं।

बच्चे : गरीबी, कुपोषण जैसी अनेक समस्याओं के कारण बच्चे असुरक्षित व उपेक्षित समूह में आते हैं।

प्रवासी श्रमिक : संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रवासी श्रमिक वह व्यक्ति है जो उस देश की वैतनिक गतिविधियों में संलग्न है अथवा संलग्न रहा है जहाँ का वह नागरिक नहीं होता इनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों तरह के प्रवासियों से है।

शरणार्थी : जो अपने देश से किसी दूसरे देश में अस्थायी शरण हेतु पलायन कर जाते हैं शरणार्थी कहलाते हैं। इस पलायन का कारण अकाल, गृहयुद्ध, धार्मिक भेदभाव, महामारी आदि। इन्हें मानवाधिकार से वंचित किया जाता है।

निःशक्तजन : संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो जन्मजात रूप से शारीरिक अथवा मानसिक क्षमता के चलते पूर्ण या आंशिक तौर पर पूरा करने में सक्षम नहीं है, उसे निःशक्त माना जा सकता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक : ऐसे लोग जो किसी देश की बहुसंख्यक जनता के समूह का हिस्सा नहीं हैं, उस देश के संदर्भ में अल्पसंख्यक कहलाएंगे।

वृद्ध : 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को सम्मानित वृद्ध माना जाता है। पारिवारिक, सामाजिक तथा अन्य स्तरों पर उनके अधिकारों का हनन किया जाता है।

आदिवासी लोग : पूंजीवादी वर्ग द्वारा शोषण व राज्य की उदासीनता के कारण ही ये वर्ग हाशिये पर स्थित व उपेक्षित वर्ग में शामिल होते हैं।

आंतरिक रूप से विस्थापित लोग : ये वे लोग हैं जिन्हें देश के अंदर सशस्त्र संघर्ष हिंसा की स्थिति, मानव अधिकारों के उल्लंघन और मानवीय अथवा प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से आवास स्थल छोड़ना पड़ता है।

अनुसूचित जाति और जनजाति : जनजाति समुदाय मानव विकास सूचकांक, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आय जैसे मापदंडों पर पिछड़े हुए होते हैं।

वेश्यावृत्ति में सम्मिलित महिलाएं : इस वर्ग में सम्मिलित महिलाएं सामाजिक शोषण की शिकार होती हैं।

एचआईवी पॉजिटिव/एड्स संक्रमित : एचआईवी संक्रमित व्यक्ति पूरे विश्व में सामाजिक रूप से बहिष्कृत होते हैं।

खानाबदोश या यायावर : इन लोगों के पास अपना कोई स्थायी पेशा या जीविका उपार्जन के उचित साधन नहीं होते हैं। वे जीवन जीने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में घूमते रहते हैं।

उपेक्षित समूह के साथ होनेवाला संरचनात्मक भेदभाव

- रोजगार के अवसरों का अभाव।
- शिक्षा का अभाव।
- राष्ट्रीय संसाधनों तक पहुँच का अभाव।
- खाद्य-साधनों का अभाव।
- निर्धनता की स्थिति।
- मानवाधिकारों का उल्लंघन।

- सामाजिक सुरक्षा का अभाव |
- पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव |

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, गौतम बुद्ध, कार्ल मार्क्स आदि के विचारों की प्रेरणा लेकर उपेक्षित समाज सामाजिक असमानता के विरुद्ध सामाजिक समानता के लिए संघर्ष कर रहा है | कुल मिलाकर उपेक्षित समाज का अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष अनिवार्य है | इस संघर्ष का कोई अंत नहीं है | उपेक्षित समाजों में अब प्रतिकारों की भावना जाग गई है, हजारों वर्षों की विषमतावादी संस्कृति के खिलाफ | जिन्होंने उपेक्षित समाज की हर क्षेत्रों में अवहेलना, अपमान और तिरस्कार किया है | ऐसे वर्चस्वादियों को अब उपेक्षित समाज विद्रोह भरे स्वर में न्याय की मांग कर रहा है वह इस शोषण की प्रवृत्ति को जड़ से उखाड़ना चाहता है, ताकि यहाँ हर समाज हर व्यक्ति मनुष्य बनकर जी सके पशु बनकर नहीं |

सहायक ग्रंथ :

1. उपेक्षित समाज की अवधारणा – प्रा. प्रशांत नारायण ढेपे
2. हिंदी कहानी और उपेक्षित समाज –डॉ. संजय एल. मादार
3. असुरक्षित हाशिये पर स्थित एवं उपेक्षित समूह समुदाय –दृष्टि पत्रिका 2026
4. उपेक्षित समुदायों का आत्म इतिहास –बद्री नारायण
5. आदिवासी साहित्य विमर्श –गंगा सहाय मीणा
6. उपेक्षित समुदायों का आत्म इतिहास –विष्णु महापात्र
7. उपेक्षित समुदाय और इतिहास लेखन -विमर्श